

प्रेषक,

निदेशक,  
प्रशिक्षण एवं संघांयोजन,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक,  
के०डी०एस० औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र,  
महाशीपुर गौराकाला  
वाराणसी।

पत्रांक: 540 / टी-3/रा०प०/भा०सं०संस्तुति  
विषय- स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निजी औद्योगिक केन्द्रों के व्यवसाय/यूनिटों का स्थायी समन्वयन प्रदान किये जाने के बारे में महा निदेशालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, डी०जी०ई०टी० नई दिल्ली में गठित उप समिति द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि आपके संस्थान से विभाग की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 31-05-2010 पर दिनांक 15-07-2010 को महानिदेशालय, सेवायोजन एवं प्रशिक्षण, नई दिल्ली में, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् की उप समिति की बैठक सम्पन्न हुयी। उप समिति द्वारा आपके संस्थान से सम्बन्धित उक्त निरीक्षण रिपोर्ट के बारे में जो निर्णय लिया गया है, उसका उद्धरण व्यवसायवार नीचे अंकित किया जा रहा है:-

क्रम सं०	व्यवसाय/एकक जिनके लिए संस्थान/केन्द्र द्वारा स्थायी संबंधन का अनुरोध किया गया।	संस्तुति की गयी		अभ्युक्ति
		स्थायी समिति द्वारा	डीजी०ई०टी० द्वारा	
1	2	3	4	5
1-	Electrician Addl. one units	—	Addl. one units Total 03(1+1+1)	DIR-31/05/2010 .w.e.f. Aug.2010
2-	Fitter Addl. one unit	—	Addl. one units Total 03(1+1+1)	

DGET-6/24/104/2009 -TC DATED 15/07/2010

प्रयोग किये गये संकेत:-

- (1) एस०सी०आई०आर०-स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट
  - (2) एस०आई०आर०-पूरक निरीक्षण रिपोर्ट
  - (3) डी०आई०आर०-विभागीय निरीक्षण रिपोर्ट
  - (4) यू०सी०-विचाराधीन
  - (5) एन०आर०-संस्तुति नहीं किया गया।
  - (6) एन०सी०-विचार नहीं किया गया।
2. आपसे अपेक्षा की जाती है कि भारत सरकार द्वारा बतलाई गई कमियों/त्रुटियों का निराकरण समयांतर्गत करके अपनी आख्या विन्दुवार साक्ष्य सहित दो प्रतियों में इस निदेशालय को अधिलम्ब प्रेषित करें। ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

विशेष :- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा यदि आपके संस्थान के वांछित व्यवसायों को मान्यता प्रदान नहीं कि गई है तो आप इन व्यवसायों में प्रवेश न करें। इन अमान्य व्यवसायों के प्रशिक्षार्थियों को आंगामी अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

भवदीय,

(राहुल देव) 29/11  
अपर निदेशक (प्रशिक्षण/शिक्षण)  
तददिनांकित

पत्रांक : 540 / टी-3/रा०प०/भा०सं०संस्तुति/

1. प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-  
संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण/शिक्षण)वाराणसी को इस आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्त विशेष विन्दु पर विशेष ध्यान दें तथा संबंधित संस्थान/केन्द्र को भी अपने स्तर से अवगत करायें।
2. संबंधित संस्थान/केन्द्र की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
3. गार्ड फाइल हेतु।
4. उप निदेशक, व्यवसायिक परीक्षा परिषद् अलीगंज, लखनऊ।

(राहुल देव) 29/11  
अपर निदेशक (प्रशिक्षण/शिक्षण)